2023 का विधेयक सं. 12

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम सं. 22), जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (i) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ii) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iक) "शेष रहे अस्थायी अध्यापक" से, योग अनुदेशकों/योग अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए ऐसे अध्यापक, जो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट अभिकरण के बीच हुए किसी सहमति-पत्र के आधार पर विश्वविद्यालयों में कार्य करते रहे हैं किंतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में जिन पर विचार नहीं किया गया था, अभिप्रेत हैं;"; और

(ii) खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिप्रेत है किन्तु" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संविदा आधार पर" के पूर्व

अभिव्यक्ति ",विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच करार/सहमति-पत्र होने के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों द्वारा पुर:स्थापित, योग शिक्षा और अभ्यास तथा सकारात्मक स्वास्थ्य की प्रोन्नति की स्कीम के अधीन विश्वविद्यालय में कार्यरत योग अनुदेशक/योग अध्यापक के सिवाय," अंत: स्थापित की जायेगी।

3. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

" परंतु शेष रहे अस्थायी अध्यापक को नियमित करने की कवायद, 180 दिन की समाप्ति के पश्चात् की जा सकेगी।"।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान में स्थापित विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत अस्थायी अध्यापकों के आमेलन का उपबंध करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसरण में विश्वविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों को आमेलित करने के उद्देश्य से कवायद की गयी थी, किंतु अधिनियम की धारा 6, जो नियुक्तियां करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है, के कारण योग अनुदेशकों सहित कुछ अध्यापक विचार में लिए जाने से शेष रह गये थे।

एक समयावधि के पश्चात्, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चयों में माना है कि कुछ राजकीय विभागों या परिकरणों ने अनेक कर्मचारियों को या तो उनके मामले न्यायालयों में लम्बित होने के आधार पर या सर्वथा अन्वेक्षा के कारण विचार में लिये जाने से अपवर्जित करते हुए, एक बारगी कवायद की थी। वे कर्मचारी, जो *उमादेवी मामले* के विनिश्चय के निबंधनानुसार विचार में लिए जाने के हकदार थे, मात्र इसी कारण से नियमितीकरण के लिए विचार में लिए जाने का अपना अधिकार नहीं गंवा देवें कि उनके मामलों पर विचार किये बिना एक बारगी कवायद पूरी कर ली गयी थी।

अत:, धारा 6 में एक परन्तुक जोड़ा गया है, जो यह उपबंध करता है कि शेष रहे अस्थायी अध्यापकों को 180 दिन की समाप्ति के पश्चात् नियमित करने की कवायद की जा सकेगी और "शेष रहे अस्थायी अध्यापक" की परिभाषा सम्मिलित की गयी है। संविदा के आधार पर नियुक्त सामान्य प्रवर्ग के अध्यापक के लिए मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (iv) में एक अपवाद यह ध्यान में रखते हुए इंगित किया गया है कि छात्रों के स्वस्थ शरीर और मानसिक स्वास्थ्य,

तनाव प्रबंधन के लिए योग अनुदेशक लाभदायक शिक्षा प्रदान करते हैं और वे स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाते हैं।

सरकार का यह विचार है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ की गयी विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा की प्रोन्नति के लिए स्कीम पूर्वोक्त संशोधनों के पश्चात् गति प्राप्त करेगी।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र सिंह यादव,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 से लिये गये उद्धरण

(2008 का अधिनियम संख्यांक 22)

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं- (1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) "अस्थायी अध्यापक" से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं.18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार, रिक्तियों के सम्यक् लोक विज्ञापन के पश्चात्, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान में स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक, या अंशकालिक आधार पर नियुक्त और विश्वविद्यालयों द्वारा विहित वेतनमान में कार्यरत कोई अध्यापक अभिप्रेत है किन्तु संविदा आधार पर नियुक्त या विदेश सेवा में के और संबंधित विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत अध्यापक इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे;

(v) से (vi) XX XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

6. नियुक्ति करने की अन्तिम तारीख.- इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कोई भी नियुक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 180 दिन की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जायेगी।

XX XX XX XX XX

Bill No. 12 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS (ABSORPTION OF TEMPORARY TEACHERS) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Act, 2008.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 22 of 2008.- In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Act, 2008 (Act No. 22 of 2008), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (i) and before the existing clause (ii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ia) "left out temporary teacher" means teachers including yoga instructors/yoga teachers who have been working in the universities by virtue of any Memorandum of Understanding between the university and the agency referred by University Grants Commission but were not considered in pursuance to the provisions of the Act;"; and

(ii) in clause (iv), after the existing expression "University concerned on Deputation" and before the existing punctuation mark ";", the expression "except yoga instructor/yoga teacher working in the universities under the Scheme for Promotion of Yoga Education and Practice and Positive Health in Universities introduced by the University Grants Commission or guidelines issued by the University Grants Commission after entering into an Agreement/Memorandum of Understanding between the University and University Grants Commission" shall be inserted.

3. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 22 of 2008.- In section 6 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

> "Provided that exercise of regularizing the left out temporary teacher may be undertaken after the expiry of 180 days.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Act, 2008 was enacted to provide for absorption of temporary teachers of long standing, working in the Universities established in Rajasthan. In pursuance of this Act exercise was done in order to get absorbed temporary teachers who working in Universities but in the exercise a few teachers including yoga instructor were left out of consideration because of section 6 of the Act which provides for time limit for making appointments.

After a period of time, the apex court observed in its decisions that some Government departments or instrumentalities undertook the one-time exercise excluding several employees from consideration either on the ground that their cases were pending in courts or due to sheer oversight. The employees, who were entitled to be considered in term of the decision in *Umadevi case*, will not lose their right to be considered for regularization, merely because the one-time exercise was completed without considering their cases.

Hence, a proviso is added to section 6 which provides that exercise of regularizing the left out temporary teacher may be undertaken after the expiry of 180 days and a definition of 'left out temporary teacher' is incorporated. Keeping in view that Yoga instructors impart education beneficial for sound body and mental health of students, stress management and they teach Art of healthy living, an exception to general category of teacher appointed on contract basis, is marked in clause (iv) of sub-section (1) of section 2 of principal Act.

The Government considers that the Scheme for Promotion of Yoga Education in Universities introduced by the University

Grants Commission will gain momentum after the aforesaid amendments.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेंद्र सिंह यादव,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS (ABSORPTION OF TEMPORARY TEACHERS) ACT, 2008

(Act No. 22 of 2008)

XX XX XX XX XX XX

2. Definitions. - (1) In this Act, unless the subject or context otherwise, requires, -

(i) to (iii) xx xx xx xx xx

(iv) "temporary teacher" means a teacher appointed in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) in the pay scale prescribed by the University concerned on temporary basis as stop-gap arrangement, after due public advertisement of vacancies, or a teacher appointed on part time basis and continuing in the pay scale prescribed by the universities but shall not include a teacher appointed on contract basis or those in foreign service and serving the University concerned on deputation;

(v) to (vi) xx xx xx xx xx

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

6. Last date for making appointments.- No appointment in pursuance to the provisions of this Act shall be made after the expiry of 180 days from the date of the commencement of this Act.

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 12 of 2023

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS (ABSORPTION OF TEMPORARY TEACHERS) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Act, 2008.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Rajendra Singh Yadav, **Minister-Incharge**)

2023 का विधेयक सं. 12

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(राजेन्द्र सिंह यादव, **प्रभारी मंत्री**)